ज्ञापांक 6077 /एल-2
5-14-29-2005
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 02 दिसम्बर, 2009

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक,
बिहार ।

विषय:- माननीय मंत्रीगण/विधायकगण/पार्षदगण/सांसदगण एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों के राज्य से बाहर यात्रानुमति के लिए मार्गदर्शन निर्धारण करने के संबंध में ।

विशेष परिस्थिति में महानुभाव के अनुरोध पर एवं आसन्न खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- VI-23014/11/202-जी.पी.ए.-111 दिनांक 14-1-2002 एवं तदनुसार गृह(आरक्षी) विभाग के ज्ञापांक 1220 दिनांक 29-1-2002 के आलोक में वर्त्तमान में राज्य से बाहर अंगरक्षकों को यात्रा के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की जाती रही है । राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से सुरक्षा प्राप्त विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों के यात्रा विवरणी प्राप्त होने एवं उस निर्णय में होनेवाले विलम्ब से बचने तथा संबंधित सुरक्षा प्राप्त महानुभावों की आवश्यकताओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त वर्णित पत्र के दिशा-निर्देश के अनुरूप अधिकतक 03(तीन) दिनों की राज्य से बाहर यात्रा हेतु प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को अनुमति क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक के स्तर से प्रदान की जायेगी।

1- माननीय मंत्रीगण एवं विधान सभा के सदस्यों तथा माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभाव को संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार द्वारा राज्य से बाहर यात्रा की अनुमति नियम के तहत मात्र तीन दिनों की दी जायेगी।

2- बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों को क्षेत्राधिकार जिस जिला से अधिक क्षेत्र पड़ता है उससे संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा राज्य से बाहर यात्रा की अनुमति अन्तर्गत मात्र 03(तीन) दिनों की दी जायेगी।

3- महानुभाव द्वारा संबंधित राज्य जहाँ भ्रमण पर जा रहे हैं, उस राज्य के पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त को उक्त अनुमति की प्रति संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार द्वारा द्रुतगति से भेजी जाय ।

4- उक्त पत्र में, जिसमें पुलिस अंगरक्षक को राज्य से बाहर यात्रा की अनुमति दी जा रही है, उनका स्पष्ट नाम एवं संख्या तथा शस्त्र(हथियार) का वर्णन करेंगे ।

सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सावधानीपूर्वक नियमानुसार अनुपालन करेंगे ।

अनु0:- विषय की स्पष्टता एवं सुलभ प्रसंग हेतु तथा कार्रवाई हेतु भारत सरकार के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- 1- गृह सचिव, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
2- कैबिनेट सचिव, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, सैन्य पुलिस/ रेलवे, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
4- सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

5- सभी पुलिस अधीक्षक(रेल सहित), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

6- सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

ज्ञापांक 6097 /एल-2, पटना, दिनांक 02 दिसम्बर, 2009

52-14-29-2005

प्रतिलिपि:-

1- बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के आप्त सचिव को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि आप अपने स्तर से माननीय सदस्यों को संसूचित करने की कृपा की जाय ।

2- बिहार विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष के आप्त सचिव को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि आप अपने स्तर से माननीय सदस्यों को संसूचित करने की कृपा की जाय ।

3- सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अपने स्तर से विशिष्ट/ अतिविशिष्ट महानुभावों को संसूचित करने की कृपा की जाय ।

4- निबंधक(स्थापना), माननीय उच्च न्यायालय, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से माननीय न्यायाधीश को संसूचित करने की कृपा की जाय ।

Sd/- 1/12/09

पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),
बिहार, पटना।

राजेश/ 1/12
1/12